ज्ञापांक–2109/तक0/2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–08वीं सितम्बर 2020

सेवा में,

Sri Sanjeev Kumar Ghosh,
Maharshi Mehi Vidyapeeth,
Lohardih, Kolakusma (Hirak Road, P.O.-K.G. Ashram,
Dhanbad-828109 (Jharkhand).

विषय :– मौजा–Kolakusma No-12, प्लाट नं0–3607,3618,3610,3611, 3596,3598,3599, 3591, 3593, 3594,3595, 3600,3602,3604,3605,3606 3601, & 3603, खाता न0– 94, 120, वार्ड नं0–23, थाना–सरायढ़ेला, जिला–धनबाद में निर्मित Maharshi Mehi Vidyapeeth धनबाद G+3 स्कूल भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह।

आपके द्वारा आनलाईन समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित विद्यालय भवन की जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद से कराई गई। अपने ज्ञापांक–277 दिनांक–28.09.2020 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा की अनुशंसा के आलोक में निर्मित Maharshi Mehi Vidyapeeth धनबाद G+3 स्कूल भवन हेतु निम्नांकित अग्नि सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैः–

1. निर्मित स्कूल भवन के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर क्षमता वाले एक अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन देने की व्यवस्था की जाय।
3. अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम दस–दस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन प्रत्येक ब्लॉक में डाउन कमर सिस्टम की व्यवस्था की जाय। प्रत्येक तलों पर डिलिवरी आउटलेट एवं 30 मीटर लम्बा होज रील होज संस्थापित कराया जाय।
5. 450ली0/मि0 क्षमता का एक–एक टेरेस पम्प लगाने की व्यवस्था की जाय।
6. विद्युत मेन कंट्रोल पैनल के पास 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद CO_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
7. स्कूल भवन की विद्युत व्यवस्था किसी Licensed Electrician से ही कराये जाँय।
8. विद्यालय भवन में प्रति 400 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के लिए एक की दर से 06 के0जी0 क्षमता का DCP Fire Extinguisher रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
9. यदि कम्प्यूटर रूम अथवा लैब हो तो उसे 4.5 के0जी0 क्षमता का दो अदद Co_2 Fire Extinguisher से सुरक्षित किया जाय।
10. निर्मित स्कूल भवन में एक ऐसे मैनुअली ऑपरेटेड इलेक्ट्रोनिक फायर अलार्म लगाये जाने की व्यवस्था की जाय। इसके हूटर की आवाज भवन के हर हिस्से में स्पष्ट सुनाई देने में सक्षम हो।
11. स्कूल परिसर में एक फायर बूथ स्थापित किया जाय, जिसमें निम्नलिखित अग्निशमन यंत्र आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
    i. DCP Fire Extinguisher 06 kg - 04 Nos.
    ii. Fire Bucket - 04 Nos.
    iii. Water CO_2 Fire Extinguisher 09 Ltr- 04 Nos.
12. नर्सरी से कक्षा तीन तक के छात्रो को सतही तल पर बैठाये जाने की व्यवस्था की जाय।
13. सभी क्लास रूम में दो दरवाजे होना चाहिए जो बाहर की ओर खुले।
14. निर्मित स्कूल भवन के किसी भी निकास द्वार को किसी भी परिस्थिति में कभी भी बाधित न किया जाय।

15. निर्मित स्कूल भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार से कभी भी बाधित न किया जाय, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में Fire Tender के Movement में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
16. निर्मित स्कूल भवन में Travel Distance मानक के अनुरूप रखा जाय।
17. निर्मित भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाने की व्यवस्था की जाए।
18. निर्मित भवन में संस्थापित किये गये अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत प्लान Soft Copy में इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने से पहले चेक लिस्ट पूरी तरह भरते हुये एक शपथ पत्र समर्पित करेगें कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह अनुपालन करा लिया गया है।
19. अग्नि–सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस विभाग से कराने के बाद ही अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जायेंगे।
20. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.2 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से पालन किया जाय।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON, serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002, 2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.10.08 13:22:27 +05'30'

(बन्धु उराँव)
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।